



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHIN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, मंगलवार 13 सितंबर 2022

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-04, अंक- 345

महत्वपूर्ण एवं खास

गया पितृपक्ष मेले में जा रही बस ने ट्रेलर को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत

रांची (आरएनएस)। हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर सोमवार की सुबह एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गये। बताया गया कि यह बस कोलकाता से तीर्थयात्रियों को लेकर गया के पितृपक्ष मेले के लिए जा रही थी। हादसा सुबह पांच बजे के आसपास का है। तीर्थयात्रियों से भरी बस ने जीटी रोड पर पातीतिरी गांव के पास एक ट्रेलर में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर और खलासी सहित एक तीर्थयात्री ने मौके पर दम तोड़ दिया। घायल हुए दो दर्जन से ज्यादा लोगों को आसपास के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इनमें से कुछ की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे यात्री बाहर निकाले गये। जिस जगह पर हादसा हुआ, वहां जीटी रोड को सिक्स लेन में तब्दील करने का काम चल रहा है। जिस लेन में बस चल रही थी, उसे ब्लॉक कर दिया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ड्राइवर ने लेन बदलने के दौरान ट्रेलर में टक्कर मारी।

अनियंत्रित कार ट्रेलर में जा घुसी, दो की मौत

भिलाई (आरएनएस)। सेक्टर-10 गणेश पंडाल के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। इनमें से एक युवक प्रसाद बांत रहा था, जबकि दूसरा ट्रेलर के साथ ही चल रहा था। मिला जानकारी के अनुसार भिलाई सेक्टर-6 में पेट्रोल पंप के बागल में स्थित गणेश पंडाल का गणेश विजर्सन करने जा रहे थे। समिति के सदस्य डीजे की धुन में थिरक रहे थे। इसी दौरान त्वांच चोक से सेक्टर-9 चोक की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए ट्रेलर में कार घुसा दी। जिससे ट्रेलर में बैठकर प्रसाद बांत रहे शंकर की मौत हो गई। वहीं शंकर के साथ नीरज भी चपेट में आया था। जिससे घायल नीरज की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 4 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद समिति व मोहल्लेवासियों ने सेक्टर-9 अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया।

उत्तराखंड में महाराष्ट्र के चार तीर्थयात्रियों की मौत

मुंबई (आरएनएस)। उत्तराखंड के ऋषिकेश की यात्रा पर निकले महाराष्ट्र के चार तीर्थयात्रियों की भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र के पालघर जिले से तीर्थयात्रियों का एक समूह तीर्थयात्रा पर ऋषिकेश गया था, जहां पिछले शुक्रवार को उनके वाहन की चपेट में आने से भयानक सड़क दुर्घटना में उनमें से चार की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जितेश लोखंडे (43), धर्मराज खतेकर (40), पुरुषोत्तम खिलखुती (37), शिवाजी बुद्धकर (53) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री के एक सहयोगी सचिन जोशी ने तत्काल इसकी सूचना दी। मुख्यमंत्री शिंदे ने दूरत उत्तराखंड के अधिकारियों से संपर्क किया और घायलों के लिए ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में इलाज की व्यवस्था की। इतना ही नहीं उन्होंने अस्पताल प्रशासन से भी संपर्क कर घायलों के इलाज की जानकारी ली। दुर्घटना पीड़ितों के पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनके शवों को उसी रात दिल्ली हवाईअड्डे पर लाया गया और वहां से सुबह तड़के उन्हें मुंबई ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया।

महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से कुछ इलाकों में बाढ़, तीन महिलाएं बही

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, कोकण, विदर्भ और मध्य क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से गोदावरी और मान्याड नदियों में बाढ़ आ गयी है वहीं औरंगाबाद में बाढ़ में तीन महिलाएं बह गयीं। भारतीय मौसम विभाग के अधिकारियों ने राज्य के सभी संभागों में अगले दो दिनों में अधिकतर स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जतायी है। औरंगाबाद में वालाज और तिसगांव क्षेत्र में नदियां और नहरों में बाढ़ आ गयी और तीन महिलाएं बह गयीं। मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने बचाव कार्य शुरू किया और दो महिलाओं को बचा लिया है जबकि एक अन्य अभी भी लापता है। जिले के फुलंबरी तालुका के खामगांव गांव में भारी बारिश के कारण फसल बह गई और कई घरों में पानी घुस गया।

एयर इंडिया के बेड़े में 30 नए विमान होंगे शामिल

नई दिल्ली (आरएनएस)। अपनी क्षमता बढ़ाने को लेकर एयर इंडिया ने अपने मौजूदा बेड़े में 25 नैरो-बॉडी एयरबस और 5 बोइंग वाइड-बॉडी विमान शामिल करने की योजना बनाई है। एयर इंडिया ने 25 एयरबस नैरो-बॉडी और 5 बोइंग वाइड-बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए लीज और लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 2022 के अंत से सेवा में शामिल होंगे। इससे एयरलाइन के बेड़े में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी।

ये नए विमान इस साल की शुरूआत में टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद बेड़े का विस्तार करेंगे। पट्टे पर दिए जा रहे विमानों में इक्कीस एयरबस ए320नियॉन, चार ए321नियॉन और पांच बोइंग



बी777-200एलआर शामिल हैं। एयरलाइन के अनुसार, बी777-200एलआर दिसंबर 2022 और मार्च 2023 के बीच बेड़े में शामिल हो जाएंगे, और भारतीय शहरों से संयुक्त राज्य अमेरिका उड़ान सेवा के लिए तैनात होंगे। मुंबई सैन फ्रांसिस्को के साथ-साथ न्यूयॉर्क क्षेत्र के दोनों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, नेवाक

लिबर्टी और जॉन एफ कैनेडी के लिए उड़ानें होंगी, जबकि बैंगलोर को सैन फ्रांसिस्को के लिए हफ्ते में तीन दिन उड़ान सेवा चलेगी। इन विमानों के चलते एयर इंडिया पहली बार प्रीमियम इकोनॉमी उड़ानों की पेशकश करेगा। बेड़े के विस्तार पर टिप्पणी करते हुए, एयर इंडिया के सीईओ और प्रबंध निदेशक, कैपबेल

विल्सन ने कहा: लंबे समय बाद, एयर इंडिया अपने बेड़े का विस्तार फिर से शुरू करने पर बहुत खुश है। ये नए विमान, मौजूदा विमानों के साथ सेवा में वापस लौटे, अधिक क्षमता और कनेक्टिविटी की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करेंगे और एक मजबूत कदम आगे बढ़ाएंगे। एयर इंडिया के पास रोमांचक विस्तार और नवीनीकरण योजनाएं हैं, जिनमें से ये नए विमान अभी शुरूआत हैं।

एयर इंडिया के नैरो-बॉडी बेड़े में वर्तमान में 70 विमान हैं, जिनमें से 54 सेवा में हैं; शेष 16 विमान 2023 की शुरूआत तक सेवा में लौट आएंगे। इसी तरह, एयर इंडिया के वाइड-बॉडी बेड़े में वर्तमान में 43 विमान हैं, जिनमें से 33 चालू हैं। बाकी 2023 की शुरूआत में सेवा में आएंगे।

सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से टकराई यात्री बस... 2 बच्चे समेत 7 लोगों की मौत

कोरबा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक बड़े सड़क हादसे की खबर प्रकाश में आई है। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस खड़ी ट्रेलर में घुस गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। रायपुर से रेणुकट जा रही बस सोमवार तड़के हादसे का शिकार हो गई। जिनकी मौत हुई उनमें से दो बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। हादसा बांगो थाना क्षेत्र में हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, रॉयल्स ट्रांसपोर्ट की लजरी बस स्लीपर कोच देर रात रायपुर से रेणुकट के लिए निकली थी। बताया जा रहा है कि तड़के करीब 4 बजे बस कोरबा के पौड़ी उपरेड़ा में नेशनल हाईवे-130 पर पहुंची थी कि मड़ई के पास सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। एक तरफ से बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के दौरान लोग गहरी नींद में थे।

टक्कर होते ही चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने सुबह हादसा देखा तो पुलिस को सूचना दी।



इसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सभी घायलों को एंबुलेंस से स्थानीय उप स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल कोरबा रेफर किया जा रहा है। इस दौरान एक और बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

कोरबा पुलिस ने बताया कि हादसे में कुल 3 लोग घायल हैं। जिसमें से एक सामान्य रूप से और दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना सुबह 4 बजे के आसपास की है। समान रूप से घायल व्यक्ति का इलाज पौड़ी अस्पताल में चल रहा है जबकि गंभीर रूप से अन्य दो व्यक्ति को कोरबा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है।

बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा पर 5 महिला तस्करों को किया गिरफ्तार, लाखों रुपए का सोना जब्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने दक्षिण बंगाल में बांग्लादेश से लगी सीमा के पास से सोने की तस्करि कर रही 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 35.5 लाख का सोना बरामद किया गया है। बीएसएफ ने ये जानकारी दी है। बीएसएफ ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर बीएसएफ की दक्षिण बंगाल यूनिट की 54 वी बटालियन ने नादिया जिले में बांग्लादेश से लगी सीमा पर तस्करि का बड़ा प्रयास विफल कर दिया। जानकारी के मुताबिक, 5 भारतीय महिला तस्कर आभूषण की शकल में सोने को अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत ला रही थीं, उन्हें बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। पांचों महिला तस्करों को चांदी की आउटलाइन चूड़ियों के साथ 696 ग्राम सोने सहित पकड़ा गया है। इसकी कुल



कीमत लगभग 35.5 लाख रुपये है बताई जा रही है। जांच में पता चला कि ये सोना अवैध तरीके से बांग्लादेश से तस्करि कर भारत लाया जा रहा था। फिलहाल सभी महिला तस्करों को बीएसएफ ने आगे की जांच के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। वहीं ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये महिलाएं तस्करों के किस गिरोह की सदस्य हैं।

मेघालय में जेल तोड़ कर भागे चार कैदियों की पीट-पीटकर हत्या

शिलांग (आरएनएस)। मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले के थादमथलॉग और शांगपुंग गांव की सीमा से लगे वन क्षेत्र में भीड़ ने जेल तोड़ भागे चार अपराधियों की रिवार को पीट-पीट कर हत्या कर दी। ये चारों मृतक उन छह कैदियों में शामिल थे जो शनिवार दोपहर चार जेल कर्मचारियों और एक सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल को काबू में करने के बाद जोवाई जिला जेल और सुधार गृह से भाग गए थे।

मॉब लिंचिंग की इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है। भागने वालों में दो हत्या के आरोपी आई लव यू तलंग और रमेश डाखर शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले और पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में पिछले



महीने दो टैक्सी ड्राइवर्स के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी तक मृत लोगों की पहचान नहीं हो पाई है और उनके शवों की पहचान के लिए लालोंग सिविल अस्पताल ले जाया गया है।

तलंग और डाखर के अलावा, चार अन्य, मार्सकी तारियंग (हत्या का दोषी) रिकामेनलंग लामारे, शिदोरकी दखर और के नाम तभी साझा कर सकते हैं जब शवों

की पहचान हो जाए।

उन्होंने बताया कि फरार दो अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। एक ग्रामीण ने कहा कि यह घटना रविवार दोपहर को उस समय हुई जब यह खबर फैली कि भागने वालों में से एक रमेश दखर इलाके की एक स्थानीय दुकान से खाना लेने आया हुआ है, जिसके बाद भीड़ उन लोगों की तलाश में निकल गई, जो वहां वन में मौजूद थे। भीड़ ने आखिरकार चारों को पीट-पीट कर मार डाला, बावजूद इसके कि मु 1 भर पुलिसकर्मियों ने भीड़ को पीट-पीटकर मारने से रोकने की कोशिश की।

तलंग और दखर के अलावा, चार अन्य, मार्सकी तारियंग (हत्या का दोषी) रिकामेनलंग लामारे, शिदोरकी दखर और के नाम तभी साझा कर सकते हैं जब शवों

जेल से फरार हो गए थे। हत्या के दोषी शाइनिंगस्टार पाला के 22 जून को फरार होने के बाद जोवाई जिला जेल में यह दूसरी जेलब्रेक की घटना है। तीन दिन बाद, उसे उसके रिश्तेदारों की मदद से पुलिस ने पकड़ लिया।

इस बीच पुलिस ने जेल में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में जोवाई जिला जेल और सुधार गृह के पांच जेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिसके कारण छह कैदी भाग निकले। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि गिरफ्तार जेल स्टाफ हेमो वार्डर राजेश स्वर, वार्डर पिंडबोर बाबोन और वार्डर चिमलिन किनजिंग के अलावा दो अस्थायी वार्डर दामेलहुनु सुनु और एलेक्सिस इवरम ने भागने की साजिश रची। मारक ने कहा, हम शनिवार केजेलब्रेक 'की तह तक जाने के लिए सभी पांच जेल कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं।

असम राइफल्स को मिली बड़ी कामयाबी एक करोड़ कीमत की ब्राउन शुगर जब्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने एक साथ मिलकर थोबल से करीब 1 करोड़ रुपये कीमत की ब्राउन शुगर जब्त की। इस कार्यवाही में 2 ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक असम राइफल्स ने मणिपुर में नशीले पदार्थों की बड़ी तस्करि को नाकाम कर दिया।

असम राइफल्स की कीथेलमनबी बटालियन ने थोबल पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में एक करोड़ रुपये की ब्राउन शुगर की तस्करि को नाकाम कर दिया। मणिपुर के थोबल जिले में यारीपोक सिंगा से दो ड्रग डीलरों को भी जवानों ने पकड़ा है। असम राइफल्स ने बताया कि एक खुफिया इनपुट मिला था कि 2



ड्रग तस्कर यारीपोक सिंगा में एक घर में तस्करि के इरादे से रुके हैं। इसी के आधार पर छापेमारी कर 22 साबुन के डिब्बों में रखी करीब 516.2 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई। आरोपियों के पास से एक बोलरो गाड़ी भी बरामद की गई है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद जलालुद्दीन और जाकिर हुसैन के रूप में हुई है। फिलहाल पकड़े गए दोनों तस्करों को थोबल पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां से आगे की जांच की जा रही है।

ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें की खारिज, कहा, मामला सुनने योग्य

वाराणसी (आरएनएस)। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। वाराणसी के जिला जज ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। यह निर्धारित करते हुए प्रतिवादी संख्या चार अंजुमन इतेजायिया मसाजिद कमेटी के द्वारा अदालत को दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।

जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष फैसले के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं था। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानी हैं और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि यह मामला 1991 के वरिष



एक्ट के तहत नहीं आता। अब जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थीं। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी।

अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने साल 1991 के वरिषिप एक्ट के तहत दलील पेश कर परिसर में दर्शन-पूजन की अनुमति पर आपत्ति जताई थी। वहीं हिंदू पक्ष का कहना था कि श्रंगार गौरी में दर्शन-पूजन की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पोषणीयता पर वाराणसी की जिला अदालत को विचार करने का निर्देश दिया था।

हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने फैसले के बाद कहा कि भारत आज खुश है। मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को

जश्र मनाने के लिए दीया जलाना चाहिए। हिंदू पक्ष के वकील सोहनलाल आर्य ने कोर्ट के बाहर कहा कि हर काशीवासी से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। अगली सुनवाई 22 को है और ये बहुत की खुशी की बात है और पूरा उत्तर प्रदेश हर्षित है। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज कोर्ट ने हमारे सारे फैसले मान लिए। मुस्लिम पक्ष की याचिका रिजेक्ट कर दी गई है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पांच वकील नामों के लिए कहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि जिला अदालत ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका 7 रूल 11 को खारिज कर दिया। यह एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह माना है कि

मामला सुनवाई योग्य है और इस मामले में 1991 का वरिषिप एक्ट लागू नहीं होता। अब इस मामले में 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। विष्णु जैन ने कहा कि इस मामले से जुड़ी पूरी लीगल टीम काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करने जाएगी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। पांच हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं ने खासतौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाजत चाही थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने

दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फक्बारा बताया था। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थीं। अभी यहां साल में एक बार ही पूजा होती है। इन पांच याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही हैं, बाकी चार महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनास की हैं। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था।